छोटी नर्सरी की स्थापना

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त पोधरोपण सामग्री प्रवर्धन हेतु छोटे नर्सरी की स्थापना का प्रावधान समन्वित उद्यानिक विकास मिशन के अन्तर्गत है। छोटे नर्सरी की स्थापना के लिए आवेदक के पास एक हेक्टेयर जमीन एक ही जगह होना अनिवार्य है। सर्व प्रथम जमीन का समतलीकरण करने के उपरान्त ले आउट प्लान तैयार कर तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जानी चाहिए। जमीन के एक फीट गहराई से ईट की दीवार सतह से 3 फीट ऊँचाई तक निर्मित की जानी होगी। उसके उपर काँटेदार तार चार फीट की ऊँचाई तक होगा। 10 फीट की दूरी पर RCC का 10′ × 10′ का पोल पूरे वोइन्ट्री में होगा। गेट लोहे के ग्रिल से निर्मित होंगे।

छोटी नर्सरी में फलदार पौधे– आम , अमरूद, लीची ऑवला,वेल इत्यादि के पोध रोपण सामग्री तथा सब्जी के विचड़ो तैयार करने का कार्य सम्पादित करना होगा। गुणवत्तापूर्ण पोधरोपण सामग्री तथा विचड़े तैयार कर इच्छुक किसानों के बीच बिक्री करेगी। गुणवत्तायुक्त रोपणसामग्री के लिए गुणवत्तायुक्त मातृवृक्ष लगाने की आवश्यकता है जिसके किस्म का निर्धारण कर ही रोपण का कार्य करना चाहिए। आरम्भ में मिट्टी का इस्टेरीलाइजेशन करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त उदेश्य की पूर्ति के लिए ही छोटी नर्सरी की स्थापना उपरान्त 50 प्रतिशत सहायतानुदान का प्रावधान है।

अनुमानित लागत	– ₹ 15.00 लाख
समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा अनुदान 50प्रतिशत	– ₹ 7.50 लाख
लाभार्थी द्वारा शेष राशि	– ₹ 7.50 लाख
कुल	– ₹ 15.00 लाख

चूँकि इस योजना के तहत Credit linked back ended subsidy का प्रवधान है–

अतः परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति तभी निर्गत की जायगी जब बैंक द्वारा ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।